<u>प्रेस नोट दिनांक-05.02.2026</u>

<u>जनपद बरेली</u>

दिनांक 15.01.2026 से चाइनीज मांझा की अवैध बिक्री एवं उपयोग के विरुद्ध #bareillypolice द्वारा विशेष अभियान संचालित।

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित / नायलॉन पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिंकी को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबंधित किया गया है। जनपद में घटित हो रही घटनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थाना क्षेत्रों में चाइनीज मांझे की बिकी/भण्डारण का कार्य बिना रोकटोक हो रहा है। और स्थानीय पुलिस द्वारा इसे रोकने की कार्यवाही किये जाने की दिशा में चाइनीज मांझे के प्रचलन की रोकथाम हेतु समुचित सतर्कता बरतते हुए क्रय-विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु अभियान के रूप में कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता के क्रम में बरेली जिले में जनसुरक्षा, मानव जीवन की रक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्य, आईपीएस के निर्देशन में अवैध चाइनीज मांझा (कांच या धारदार लेपित सिंथेटिक डोर) की बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चाइनीज मांझा पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह खतरनाक मांझा न केवल पतंगबाजों के लिए जोखिमपूर्ण है, बल्कि सड़क पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों (विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों) के गले में फंसकर गंभीर चोटें एवं मृत्यु का कारक बनता है। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चाइनीज मांझा से होने वाली दुर्घटनाओं में कई निर्दोष लोगों की मौतें हुई हैं, साथ ही पक्षियों की बड़े पैमाने पर हानि तथा बिजली लाइनों में व्यवधान भी उत्पन्न होता है।

पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाजारों, दुकानों, गोदामों तथा तस्करों के ठिकानों पर निरंतर निगरानी रख रही है। **अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए गुप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।**

<u>जनता से अपील</u>

- चाइनीज मांझा न खरीदें, न बेचें, न भंडारित करें तथा न ही इसका उपयोग करें।
- यदि कहीं अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
- आपातकालीन सहायता हेतु 112 पर कॉल करें या निकटतम थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

❖ **बरेली पुलिस जनसुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनसहयोग की अपेक्षा करती है। अवैध चाइनीज मांझा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।**

बरेली पुलिस द्वारा दिनांक 15.01.2026 से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पंजीकृत किये गये अभियोगों का विवरणः-

क्र0स0	थाना	पंजीकृत अभियोग का विवरण	अभियुक्त का नाम व पता	बरामद अवैध साम्रगी	मांझे का प्रकार
1	शीशगढ़	मु0अ0सं0 24/26 223/285/291/293 बीएनएस व 15 पर्यावरण संरक्षण अधि0	01. मिराज अहमद पुत्र फिदा हुसैन माता जैतून निवासी मो0 अगवाडा कस्बा व थाना शीशगढ़ जनपद बरेली उम्र करीब 35 वर्ष 02. निसार अहमद पुत्र गुलाम नबी माता बिस्मिल्लाह निवासी कस्बा व थाना शीशगढ़ जनपद बरेली उम्र करीब 60 वर्ष	अभियुक्तगण के कब्जे से 06 चरखी मांझा व 08 चरखी (हुचका) धागे वाला माँझा बरामद होना	चाइनीज मांझा
2	प्रेमनगर	मु0अ0सं0 032/2026 223/285/291/293 BNS व धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986.	1.शाहवेज पुत्र नवाब मियां निवासी मौहल्ला भूड थाना प्रेम नगर उम्र करीब 25 वर्ष	बरामदगी कुल कुल 24 चरखी चाईनीज व 03 चरखी (हुचका) धागे वाला माझा	चाइनीज मांझा
3	किला	मु0अ0सं0 43/2026 223/285/291/293 BNS व 15 पर्यावरण संरक्षण अधि0	1. अब्दुल रजा पुत्र बाबू खाँ निवासी पपीतो बाली गली बाकरगंज थाना किला बरेली उम्र करीव 22 वर्ष , 2. मोहम्मद शादाब पुत्र शमशुद्दीन निवासी पपीतों वाली गली बाकरगंज थाना किला जिला बरेली उम्र करीव 20 वर्ष , 3. मोहम्मद अजीम पुत्र स्व0 शब्बीर निवासी इनायत खाँ की बेरी बाकरगंज थाना किला बरेली उम्र करीव 42 वर्ष , 4. उबैश खाँ पुत्र स्व0 बाबू खाँ निवासी समीम मौलाना बाली गली बाकरगंज थाना किला जनपद बरेली उम्र करीव 40 वर्ष	अभियुक्तगण से 04 चरखी चाईनीज मांझा व 04 चरखी (हुचका) धागे वाला माँझा बरामद होना	चाइनीज मांझा
4	किला	मु0अ0सं044/2026 223/285/291/293 BNS व 15 पर्यावरण संरक्षण अधि0	मुशाहिद खान पुत्र नबी अहमद खान निवासी छीपीटोला थाना किला जनपद बरेली उम्र करीव 54 वर्ष	अभियुक्तो के पास से 08 चरखी सतरंगी शीशा लेपित चाईनीज मांझा व व शीशा चूर्ण बरामद होना	बरेली मांझा
5	फरीदपुर	मु0अ0सं0 60/2026 223/285/292 बीएनएस	अभि0 अय्यूब पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी मोहल्ला महादेव कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली उम्र करीब 60 वर्ष जाति शेख	अभियुक्त के कब्जे से 03 चाइनीज माँझा की गिट्टा, 02 प्लास्टिक रील चरखी तथा 04 चरखी माँझा बरामद होना	चाइनीज मांझा
6	हाफिजगंज	मु0अ0सं051/26 223/285/293/291 बीएनएस व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	अभियुक्त अनमोल गुप्ता पुत्र राजीव गुप्ता निवासी कस्वा रिठौरा थाना हाफिजगंज जनपद बरेली उम्र करीब 19 वर्ष	अभियुक्त द्वारा चाईनीज मांझे की विक्री करना तथा कब्जे से 10 बंडल (5.150 किग्रा) चाईनीज मांझा बरामद होना	चाइनीज मांझा

7	कोतवाली	मु0अ0सं0 48/26 223/285/291/293 व 15 पर्यावरण संरक्षण अधि0	अनस पुत्र अनीस नि0 मो0 सराय खाम थाना कोतवाली बरेली	अभियुक्तके कब्जे से 04 चरखी चाईनीज मांझे वजन करीब (1.896 किग्रा) बरामद होना	चाइनीज मांझा
8	किला	मु0अ0सं0 58/2026 223/285/291/293 BNS व 15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 -	1.नवाब रेहान पुत्र अब्दुल वाहिद खाँ निवासी मेंहदी मियां की मजार के पास बाकरगंज थाना किला जनपद बरेली उम्र करीब 40 वर्ष 2. फैज पुत्र वसीम निवासी मुस्तफा मस्जिद के पास बाकरगंज थाना किला जनपद बरेली उम्र करीब 25 वर्ष	अभियुक्तगणो के कब्जे से 08 अदद चरखी (06 चरखी काला लेपित मांझा व 02 चरखी भूरा शीशा लेपित मांझा)कोई सफेद पिसा हुआ चूर्ण, तज,ईशागोल बोरिक,चावल,मैदा लकङी,सैलखङी ,काजल व रंग(काला व भूरा) बरामद होना	चाइनीज मांझा